"FORM DPT-1

CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS

[Pursuant to section 73 (2)(a) and section 76 and rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

The circular or circular in the form of advertisement shall contain the following:

1. GENERAL INFORMATION

- (a) Name, address, website and other contact details of the company;
 - (b)Date of incorporation of the company;
 - (c)Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any;
 - (d)Brief particulars of the management of the company;
 - (e)Names, addresses, DIN and occupations of the directors;
- (f) Management's perception of risk factors;
 - (g). Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -
 - (i) statutory dues;
 - (ii) debentures and interest thereon;
 - (iii) loan from any bank or financial institution and interest thereon.

2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

- (a) Date of passing of board resolution;
- (b) Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits;
- (c) Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured;
- (d) Amount which the company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months;
- (e) Terms of raising of deposits: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment;
- (f) Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid;

- (g) Reasons or objects of raising the deposits;
- (h) Credit rating obtained; Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was obtained;
- (i) Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any;
- (j) Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.

3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

- (a) Amount Outstanding;
- (b) Date of acceptance;
 - (c) Total amount accepted;
 - (d) Rate of interest;
 - (e) Total number of depositors;
 - (f) Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved;
 - (g) Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits.

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

- (a) Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- (b) Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid or interest paid);
- (c) A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- (d) Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- (e) Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT-

- (a) the company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest on such deposits and where a default had occurred, the company made good the default and a period of five years had lapsed since the date of making good the default;
- (b) the board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when, they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement;
- (c) the company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (d) the compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government;
- (e) the deposits accepted by the company before the commencement of the Act have been repaid (or will be repaid along with interest within __ days (days to be specified) and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities);
- (f) in case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty;
- (g) the deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement;
- (h) the deposits accepted by the company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the company.

Attachments

- 1. *Auditor's certificate;
- 2. Optional attachment, if any.

| Attach |
|--------|
| Attach |
| Attach |

| | List of attachments |
|-----|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - 1 | |

Remove attachment

प्ररूप डीपीटी-1

जमा आमंत्रित करने के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र

[धारा 73(2)(क) और धारा 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के नियम 4(1) और नियम 4(2) के अन्सरण में]

परिपत्र या विज्ञापन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे

1. साधारण सूचना

- (क) कंपनी का नाम, पता, वेबसाइट और अन्य संपर्क ब्यौरे;
- (ख) कंपनी के निगमन की तारीख;
- (ग) कंपनी और उसकी समनुषंगी द्वारा किया जा रहा कारबार और उसकी शाखाओं या यूनिट, यदि कोई हो, के विवरण;
- (घ) कंपनी के प्रबंधन के संक्षिप्त विवरण;
- (ङ) निदेशकों के नाम, पते, डिन और उपजीविका;
- (च) प्रबंधन के जोखिम कारकों के अनुमान;
- (छ) व्यतिक्रम के ब्यौरे, इसमें सम्मिलित रकम के साथ, व्यतिक्रम की अवधि और निम्नलिखित के प्रतिसंदाय की वर्तमान स्थिति
 - i) कानूनी बकाया;
 - ii) डिबेंचर और उस पर ब्याज;
 - iii) किसी बैंक या वितीय संस्थान से ऋण और उस पर ब्याज।

2. जमा स्कीम के विवरण

- (क) बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख;
- (ख) साधारण अधिवेशन में ऐसी जमा को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित करने की तारीख;
- (ग) जमा का प्रकार, अर्थात् प्रतिभूति सहित या प्रतिभूतिरहित;
- (घ) वह रकम, जो कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जमा द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, और तत्काल पूर्ववर्ती वितीय वर्ष के

अंतिम दिन और परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख को वास्तव में धारित जमा और उसको जुटाने के लिए प्रस्तावित जमा की रकम और आगामी बारह माह में प्रतिसंदाय की जाने वाली जमा की रकम का योग;

- (ङ) जमा जुटाने, भुगतान की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की रीति और उसका प्रतिसंदाय;
- (च) प्रस्तावित समय अनुसूची जिसमें स्कीम के प्रारंभ की तारीख और समयाविध, जब तक परिपत्र या विज्ञापन मान्य है;
- (छ) जमा ज्टाने के कारण या उद्देश्य;
- (ज) प्राप्त क्रेडिट रेटिंग; क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, प्राप्त रेटिंग, प्राप्त रेटिंग का अर्थ, रेटिंग प्राप्त करने की तारीख।
- (झ) इस प्रकार की जमा प्राप्त करने के लिए सृजित या सृजित किए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हो, के संक्षिप्त विवरण,
- (ञ) इस प्रकार की जमा में निदेशकों, संप्रवर्तकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई वितीय या अन्य सारवान् हित और उस हित का प्रभाव, जहां तक यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है।

3. किसी बकाया जमा का विवरण-

- (क) बकाया रकम;
- (ख) स्वीकृति की तारीख;
- (ग) स्वीकृत क्ल रकम;
- (घ) ब्याज दर;
- (ङ) जमाकर्ताओं की कुल संख्या;
- (च) जमा के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम, यदि कोई हो,तो जिसमें जमाकर्ताओं की संख्या, व्यतिक्रम की रकम और अविध दी जाए;
- (छ) जमाकर्ताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज में कोई छूट;

4. कंपनी की वित्तीय स्थिति

- (क) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने के पहले और उसके पश्चात् की तारीख से पूर्व के तीन वर्ष के लिए कर का उपबंध करने से पहले और उसके पश्चात् कंपनी के लाभ;
- (ख) उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश; पिछले तीन वर्षों के लिए ब्याज कवेरज (कर के पश्चात् नकद लाभ और ब्याज भुगतान के पश्चात् नकद लाभ)
- (ग) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पूर्व के तीन संपरीक्षित त्लन-पत्रों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार;
- (घ) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पहले के तीन वर्षों के संपरीक्षित नकदी प्रवाह विवरण;
- (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन और कंपनी के लाभ और आरक्षितियों पर उसका प्रभाव।

5. निदेशकों द्वारा घोषणा -

- (क) कंपनी ने अधिनियम के प्रारंभ से पहले और इसके पश्चात् स्वीकृत जमा के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है और जहां कंपनी ने व्यतिक्रम किया है वहां व्यतिक्रम पूरा कर लिया है और व्यतिक्रम पूरा करने की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की अविध बीत गई है;
- (ख) यह कि निदेशक बोर्ड ने कंपनी के कार्यों और भविष्य के संबंध में पूर्णतया समाधान कर लिया है और उनका यह विचार है कि कंपनी की प्रत्याशित भावी वितीय स्थिति को देखते हुए कंपनी अपनी देयताओं, जब वे बकाया होंगी, को पूरा कर सकेगी और कंपनी परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं होगी;
- (ग) कंपनी ने अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है;
- (घ) अधिनियम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि जमा के प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार की है;

- (ङ) अधिनियम के प्रारंभ से पहले कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा का प्रतिसंदाय कर दिया गया है (या उस पर ब्याज के साथ दिनों के भीतर (दिन विशिष्ट किया जाए) उसका प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा और जब तक उसका प्रतिसंदाय नहीं होता है, ये प्रतिभूतिरहित और अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माने जाएंगे)।
- (च) क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होने पर जमाकर्ता को बिना किसी शास्ति के जमा वापस लेने का अवसर दिया जाएगा;
- (छ) जमा का प्रयोग परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इंगित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा;
- (ज) कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा (प्रतिभूति सिहत जमा, यदि कोई हो, से भिन्न अन्य जमा, जिसकी कुल रकम उपदर्शित की जानी है) प्रतिभूतिरहित है और इसे कंपनी की अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माना जाएगा।

| संलग्नक- | | संलग्नकों की सूची" |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र; | संलग्न करें | |
| 2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो। | संलग्न करें | |
| | | संलग्नक हटाएं |